(4)

HORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT IFICATION NO. HEALTH-A(3)-32/2011, DATED 24-9-2011 AS UIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION NDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE******

Health-A(3)-32/2011. Dated Shimla-2, the -2011

"NOTIFICATION"

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the itution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal sh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion s for the post of Ward Sister , Class III (Non-Gazetted), in the Department of Health mily Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure–A attached to this notification, ly :-

t title and nencement : 1.(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Ward Sister, Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2011.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

eal & savings 2.(1) The Himachal Pradesh Department of Health & Family Welfare, Ward Sister, Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. Health-A-A(3)31/96, dated 22-9-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done, taken under these Rules.

By Order

Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. No. Health-A(3)-32/2011.Dated Shimla-2, the 24-9-2011

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Accountant General (Audit), H.P. Shimla-3.
3. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
4. The Controller, H.P. Printing Stationery Deptt. Shimla-5 for publication in the Extra Ordinary Rajpatra.
5. The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
6. The Director of Health Services Shimla-9.

Hardev Singh

Joint Secretary(Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF WARD SISTER ,(NON- GAZETTED CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMIY WELFARE H.P.

1.	Name of Post :	Ward Sister
2.	Number of Posts :	426 (Four Hundred Twenty Six)
3.	Classification :	Class-III(Non - Gazetted).
4	Scale of Pay:	Pay Band Rs.10300-34800+Rs.3800 Grade Pay
5	Whether Selection Post or Non- Selection Post:	Non- Selection
6	Age for direct recruitment:	Not applicable
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits:	(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)	Age : Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9	Period of probation, if any	Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	100% by Promotion.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion /deputation transfer is to be made:	By promotion from amongst the A Grade Staff Nurse with 04 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

<u>Explanation I</u> :- For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

<u>Explanation II</u> :- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :

1. District Lahaul Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil. Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for

promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation: - The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having given the benefit of seniority there-under .

(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14	Essential requirement for direct recruitment:	Not applicable..
15	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not applicable.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Others Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Powers to Relax :	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s)or post(s).

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग...

संख्या: स्वास्थ्य–ए–ए(3)–32/2011 तारीख शिमला–171002;

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वार्ड सिस्टर, वर्ग–III-(अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वार्ड सिस्टर, वर्ग–III-(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ : 2(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य–ए–ए(3)–31/1996 तारीख 22 9 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण विभाग वार्ड सिस्टर, वर्ग–III-(अराजपत्रित) भर्ती प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: स्वास्थ्य–ए–ए(3)–32/2011 तारीख, शिमला–2, 24-9-2011

1 महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–3 ।
2 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2 ।
3 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला 5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू ।
4 निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला 9 ।
5. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
6. संरक्षण नस्ति / अतिरिक्त प्रतियां ।

संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध– क

हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वार्ड सिस्टर , वर्ग– III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

पद का नाम	वार्ड सिस्टर ।
पदो की संख्या :	426 (चार सौ छब्बीस) ।
वर्गीकरण	वर्ग– III (अराजपत्रित)
वेतनमान	पे बैण्ड 10300 जमा ग्रेड पे 34800+3800 रुपए ।
चयन पद अथवा अचयन पद :	अचयन पद ।
सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(क) अनिवार्य अर्हता (एं) : लागू नहीं । (ख) वांछनीय अर्हता (एं) : लागू नहीं ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयु लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
भर्ती की पद्धति : भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :	ए–ग्रेड स्टाफ नर्स में से प्रोन्नति द्वारा जिसका चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा ,यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (i) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–I :– उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–II :– उपर्युक्त परन्तुक (i) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :

1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।

3 रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।

5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7 जिला किन्नौर ।

8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमराऊ के कांण्ठाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल--बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयानी, धनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, धमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों, में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड अर्मड फोर्सिस परसोनल(रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज)रुलज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसिज)रुलज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हैं ।

इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल में गणना में ली जाए गी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना मे लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहे गी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना। :	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ।	लागू नहीं ।
सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन । :	लागू नहीं ।
आरक्षण ।	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17.	विभागीय परीक्षा ।	लागू नहीं ।
18.	शिथिल करने की शक्ति ।	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।